

सुमिता बनारस बलनौर

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

उपरोक्त अस्थायी निषेध. मू. नं. - 234/17

25-7-24

फावली भाज लिंक वेब दुर्घा वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में कोर्ट समिति तक बक-2 कर कर बार-2 आवाज दिलवायी गयी। वकील प्रार्थी में से कोई हरि अदालत नहीं आये हैं। अतः वकील प्रार्थीगण की अनुपस्थिति में प्रार्थना फा वापस अस्थायी निषेधज्ञा (अन्वित धारा 212 राज० कसत० अधि०) को अदम परकी व अदम हजरी में खारिज किया जाता है। फावली कुशल सुभार होकर वह तत्कालीन दायि दफतर हो।

  
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)  
श्रीसाधोपुर (नीमकाथान)